



2026:AHC:167768

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
आपराधिक अपील संख्या - 1629/1982

श्रीमती फुलमती

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: डी.पी. सिंह, एस.डी. सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 92

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल

1. सूची दोहराई गई।
2. इस अपील पर बल देने हेतु अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. अभिलेख दर्शाता है कि यह अपील वर्ष 1982 की है और अपीलार्थी, अर्थात् श्रीमती फुलमती, जिसे इस अपील को ग्रहण करते समय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6.7.1982 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की गई थी, तभी से जमानत की स्वतंत्रता का उपभोग कर रही है।
4. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 26.4.2007 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु जमानतीय अधिपत्र जारी किया। तत्पश्चात, पुनः दिनांक 5.4.2013 के आदेश द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया। दिनांक 9.7.2007 और 16.5.2013 की कार्यालय आख्याओं में कार्यालय ने रिपोर्ट किया है कि दिनांक 26.4.2007 और 16.5.2013 के पत्रों द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने रिपोर्ट किया है कि अपीलार्थी दिए गए पते पर निवास नहीं कर रही है। तत्पश्चात, दिनांक 21.5.2013 के आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 82 और 83 के अंतर्गत प्रक्रिया जारी की गई। कार्यालय ने अपनी दिनांक 12.3.2014 की आख्या द्वारा रिपोर्ट किया कि दिनांक 21.5.2013 के एक पत्र द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने रिपोर्ट किया है कि अपीलार्थी दिए गए पते पर निवास करती हुई नहीं पाई गई और मकान मालिक, अर्थात् राज कुमार साहू उर्फ खन्ना ने सूचित किया है कि उसे अपीलार्थी श्रीमती फुलमती के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तत्पश्चात, दिनांक 16.10.2014 के आदेश द्वारा अपीलार्थी के प्रतिभुओं के विरुद्ध धारा 446 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही जारी की गई। कार्यालय ने अपनी दिनांक 26.10.2024 की आख्या द्वारा रिपोर्ट किया है कि न्यायालय के दिनांक 30.9.2024 के आदेश के अनुपालन में विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने रिपोर्ट किया है कि व्यापक प्रयासों के बावजूद, उपयुक्त जमानतनामे का पता नहीं लगाया जा सका, अतः प्रतिभुओं को सूचना जारी नहीं की जा सकी।

5. संक्षेप में, मुझे अभियुक्त-अपीलार्थी-श्रीमती फुलमती, जो फरार है, के पता लगाए जाने और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। यह स्पष्ट है कि वह इस अपील के निपटारे में रुचि नहीं रखती और उसके विरुद्ध जारी गैर-जमानतीय अधिपत्रों तथा धारा 82 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रक्रिया के बावजूद इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहकर उसने जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। हमारे समक्ष जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या यह न्यायालय अभियुक्त-अपीलार्थी की, जब तक अभियुक्त-अपीलार्थी की खोज, यदि की भी जाए, और हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक चिरकाल तक प्रतीक्षा करने और इस अपील की सुनवाई को स्थगित करते रहने के लिए आबद्ध है।

6. उपर्युक्त आकस्मिकता का सामना करते हुए और इस न्यायालय के समक्ष लंबितवादों की भारी संख्या को देखते हुए, मैं इस अपील को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। समरूप परिस्थितियों में, सर्वोच्च न्यायालय ने, इस विषय पर पूर्व निर्णयों के व्यापक विश्लेषण के पश्चात, के.एस. पांडुरंगा बनाम कर्नाटक राज्य (2013) 3 एससीसी 721 के वाद में दिए गए अपने निर्णय के प्रस्तर 19 में विधिक स्थिति को छह प्रस्थापनाओं में स्पष्ट किया है:

“19.1 यह कि उच्च न्यायालय गुण-दोष की जांच किए बिना केवल अभियोजन के अभाव में अपील खारिज नहीं कर सकता;

19.2 यह कि यदि अपीलार्थी अथवा उसका अधिवक्ता/वकील दोनों अनुपस्थित हों तो न्यायालय मामले को स्थगित करने के लिए आबद्ध नहीं है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19.3 यह कि न्यायालय, विवेक अथवा अनुग्रह के विषय के रूप में, मामले को स्थगित कर सकता है किंतु वह ऐसा करने के लिए आबद्ध नहीं है;

19.4 यह कि वह विचारण न्यायालय के अभिलेख और निर्णय का अवलोकन करने के पश्चात अपील का निपटारा कर सकता है;

19.5 यह कि यदि अभियुक्त कारागार में है और स्वयं न्यायालय में नहीं आ सकता, तो यह उचित होगा कि मामले को स्थगित किया जाए और अपीलार्थी-अभियुक्त की उपस्थिति की सुविधा हेतु एक अन्य तिथि नियत की जाए यदि उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, और यदि अधिवक्ता अनुपस्थित है और न्यायालय अपनी सहायता हेतु राज्य के व्यय पर एक अधिवक्ता नियुक्त करना समुचित समझता है, तो विधि में ऐसा कुछ नहीं है जो न्यायालय को ऐसा करने से निवारित करे; और

19.6 यह कि यदि वाद गुण-दोष पर निर्णीत अपीलार्थी की अनुपस्थिति में किया जाता है, तो उच्चतर न्यायालय स्थिति का उपचार कर सकता है।”

7. इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा के.एस. पांडुरंगा (उपरोक्त) के वाद में प्रतिपादित विधिक स्थिति के आलोक में, मैं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राहुल अस्थाना की सहायता से अपीलार्थी-श्रीमती फुलमती के संबंध में इस अपील की गुण-दोष पर जांच करना प्रारंभ करती हूं। मैंने विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना है।

8. तात्कालिक आपराधिक अपील के माध्यम से, विद्वान द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर द्वारा सत्र विचारण संख्या 537/एम/1980 में पारित दिनांक 02.07.1982 के निर्णय और आदेश की विधिमान्यता और संधार्यता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और उसे चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया।

9. अभियोजन की कहानी, संक्षेप में, यह है कि परिवादिनी गोविंदी देवी ने अपने आभूषण अपनी पड़ोसन, अभियुक्ता श्रीमती फुलमती के माध्यम से, लाल बंगला के एक स्वर्णकार की दुकान पर रु. 500/- के लिए बंधक रखे थे। गोविंदी ने अपने आभूषण छुड़ाने के लिए श्रीमती फुलमती को रु. 500/- दिए। दिनांक 7 मई, 1980 को, दोनों महिलाएं लाल बंगला गईं, आभूषण छुड़ाए और घर की ओर वापस पैदल चलने लगीं। सांझ के समय वापस आते हुए, कुष्ठ चिकित्सालय के कुएं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के निकट, श्रीमती फुलमती ने गोविंदी देवी से विश्राम हेतु कुएं के निकट बैठने को कहा। कुछ ही क्षणों पश्चात, धन/आभूषण लूटने और उसकी हत्या करने के आशय से, श्रीमती फुलमती ने गोविंदी देवी को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गिरने के पश्चात गोविंदी देवी को चोटें आईं और कुएं की दीवार को पकड़कर, उसने शोर मचाया। राहगीर (अर्थात् लक्ष्मी, रामनाथ और फूल सिंह) घटनास्थल पर एकत्र हुए और रस्सी तथा डंडे की सहायता से उसे बचाने आए।

13. अभियोजन ने अपने संस्करण की संपुष्टि हेतु निम्नलिखित साक्षियों की परीक्षा की:-

पी.डबल्यू.1 डॉ. टी.एन. मेहरोत्रा ने प्रातः 3:30 बजे घायल गोविंदी देवी का चिकित्सीय परीक्षण किया और गंभीर चोटों (रेडियोलॉजी द्वारा कलाई की अस्थि भंग की पुष्टि) की संपुष्टि की जो दिनांक 7 मई, 1980 को सांझ के समय कुएं में गिरने के अनुरूप थीं और बाईं त्रिज्या अस्थि टूटी हुई थी। बाईं कलाई पर 6 सेमी x 4 सेमी आकार की सूजन विद्यमान थी और साक्षी द्वारा दर्द की शिकायत कथन की गई। उसने क्षति आख्या को प्रदर्श क-1 के रूप में सिद्ध किया और किए गए एक्स-रे की अनुपूरक रिपोर्ट प्रदर्श क-2 के रूप में प्रदर्शित है।

पी.डबल्यू.2 विश्वनाथ प्रसाद उर्सला चिकित्सालय में एक फार्मासिस्ट था और वह हंगामे की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा, पीड़िता को कुएं में देखा, और रस्सी की सहायता से उसे बाहर निकालने में सहायता किया।

पी.डबल्यू.3 देवदत्त वह स्वर्णकार था जिसने गोविंदी देवी और फुलमती द्वारा रु. 500/- के लिए आभूषण के बंधक रखे जाने और छुड़ाए जाने के बारे में गवाही दी। उसने गुलशन पट्टी को सामग्री प्रदर्श-1 के रूप में तथा करधनी को प्रदर्श-2 के रूप में सिद्ध किया।

पी.डबल्यू.4 छोटे लाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था जिसने घटना और पीड़िता के कुएं से बाहर निकाले जाने की संपुष्टि किया।

पी.डबल्यू.5 गोविंदी देवी त्रिपाठी परिवादिनी है जिसने अपने आभूषण छुड़ाने से लेकर फुलमती द्वारा कुएं में धकेले जाने तक की संपूर्ण कहानी का विवरण दिया और उसने अभियोजन के संस्करण का पूर्णतः समर्थन किया तथा उसने लिखित रिपोर्ट को प्रदर्श क-3 के रूप में सिद्ध किया।

पी.डबल्यू.6 फूल सिंह, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन किया, जिसने पीड़िता को कुएं से बाहर निकालने में सहायता की।



पी.डबल्यू.7 बाबूलाल भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था जिसने अभियोजन के संस्करण की पूर्णतः संपुष्टि की।

पी.डबल्यू.8 आरक्षी रामदत्त राठौर ने अपनी परीक्षा में चिक एफ.आई.आर., रोजनामचे की छायाप्रति सिद्ध की। अपनी प्रति-परीक्षा में, उसने कथन किया कि जी.डी. प्रविष्टियों में, पीड़िता के शरीर पर चोटों की उपस्थिति का उल्लेख है।

पी.डबल्यू.9 संतोष कुमार श्रीवास्तव ने कथन किया कि उसने गोविंदी देवी को एक अन्य महिला के साथ लगभग सायं 7:30 बजे कुष्ठ चिकित्सालय के निकट कुएं के पास देखा था और आधे घंटे पश्चात, यह समाचार सुना कि पीड़िता को कुएं में धकेल दिया गया।

पी.डबल्यू.10 थानाध्यक्ष राकेश चंद्र शर्मा, विवेचना अधिकारी ने वाद की विवेचना की और गुलशन पट्टी तथा करधनी का बरामदगी फ़र्द तैयार किया। उसने आगे निरीक्षण के पश्चात स्थल का नक्शा-नज़री तैयार किया। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, उसने अभियुक्ता फुलमती के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

14. दस्तावेजी साक्ष्यों में सम्मिलित हैं - क्षति आख्या प्रदर्श क-1 के रूप में, बाईं कलाई की अस्थि भंग की पुष्टि करने वाली एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श क-2 के रूप में, लिखित शिकायत प्रदर्श क-3 के रूप में, चुराए गए सामान का बरामदगी फ़र्द प्रदर्श क-4 के रूप में, चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क-5 के रूप में, जी.डी. की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श क-6 के रूप में, बरामदगी के पंजीकरण की जी.डी. प्रविष्टि संख्या 17 प्रदर्श क-7 के रूप में, स्थल का नक्शा-नज़री प्रदर्श क-8 के रूप में और आरोप पत्र प्रदर्श क-9 उपलब्ध हैं जिन्हें अभियोजन द्वारा सम्यक् रूप से सिद्ध किया गया।

15. अभियुक्ता श्रीमती फुलमती ने धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में अभिकथनों से इनकार किया और कथन किया कि उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है और वह गोविंदी देवी के साथ कभी स्वर्णकार के पास नहीं गई तथा उसने इस तथ्य का पूर्णतः खंडन किया कि उसने घायल परिवादिनी को कुएं में धकेला।

16. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात यह प्रेक्षित किया कि

17. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार, घटना सायं लगभग 7 से 8 बजे के मध्य घटित हुई और परिवादिनी द्वारा रात्रि 1:30 बजे लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यद्यपि इस विलंब से बचा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जा सकता था किंतु यह साक्षियों की गवाही को अविश्वसनीय नहीं बनाता और वाद के अभियोजन संस्करण पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं करता है।

18. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत अभियुक्त-अपीलार्थी का अपराध अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर दिया गया था और उसे दोषसिद्ध करते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया।

19. विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने तात्कालिक आपराधिक अपील प्रस्तुत की है।

20. अभिलेख का साधारण अवलोकन ही इस तथ्य का द्योतक है कि अभियोजन साक्षी, अर्थात् पी.डबल्यू.2 विश्वनाथ प्रसाद, पी.डबल्यू.3- देवदत्त, पी.डबल्यू.4- छोटे लाल और पी.डबल्यू.7 बाबूलाल, स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्षी थे क्योंकि उनका परिवादिनी से कोई संबंध नहीं था और अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ उनकी कोई शत्रुता नहीं थी तथा उन्होंने अभियोजन की कहानी का पूर्णतः समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, पी.डबल्यू.5- गोविंदी देवी त्रिपाठी परिवादिनी है जिसने अपने आभूषण छुड़ाने से लेकर फुलमती द्वारा कुएं में धकेले जाने तक की संपूर्ण कहानी का विवरण दिया और उसने अभियोजन के संस्करण का पूर्णतः समर्थन किया तथा उसने लिखित रिपोर्ट को प्रदर्शक-3 के रूप में सिद्ध किया।

21. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश के आदेश का समर्थन किया है और प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित निर्णय और आदेश किसी भी अवैधता अथवा अनियमितता से ग्रस्त नहीं है और मौखिक, दस्तावेजी तथा चिकित्सीय साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन के पश्चात पारित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

22. तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत, यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक अपराधी को निर्बाध छोड़ते हुए, इस मामले में अभियुक्त-अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाने का कोई जानबूझकर किया गया प्रयास था।

23. यह आपराधिक विधिशास्त्र का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24. इस वाद के विभिन्न पहलुओं पर, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के संबंध में, विचार करने के पश्चात अपीलार्थी के पक्ष में कोई वाद अथवा परिस्थिति न तो विद्यमान है और न ही उद्भूत होती है।

25. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने वाद के विभिन्न पहलुओं तथा अपराध के कारित किए जाने और स्वयं घटना के संबंध में विभिन्न विनिर्दिष्ट पक्षों पर विचार करते हुए, वाद के प्रत्येक और हर सारवान पहलू की संवीक्षा और विश्लेषण करते हुए एक सुतर्कपूर्ण और विस्तृत निर्णय प्रतिपादित किया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा तथ्यों की समुचित संवीक्षा के पश्चात दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया गया है।

26. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह सुविधाजनक रूप से संक्षेपित किया जा सकता है कि विचारण न्यायाधीश ने वाद के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा है और अभियोजन साक्षियों के तथ्यों तथा गवाही का सम्यक् परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है और दोषसिद्धि का निष्कर्ष सम्यक् रूप से अभिलिखित किया है तथा अपीलार्थी को धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध कर चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया है, जो न्यायोचित दंड है और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।

27. उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि इस अपील में कोई गुण-दोष नहीं है और तदनुसार यह खारिज की जाती है।

28. अपीलार्थी फरार है। विचारण न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह विचारण न्यायालय के निर्णय द्वारा अधिरोपित दंडादेश उसे भुगताने में सक्षम बनाने हेतु अपीलार्थी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कोई कमी न छोड़े।

29. इस आदेश/निर्णय की एक प्रमाणित प्रति आवश्यक सूचना और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अवर न्यायालय को तत्काल प्रेषित की जाए।

11 अगस्त, 2026

देव

(न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।